अति-तत्काल

फैक्स/स्पीड पोस्ट से

सं.14/1/2015-ईओयू

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

ईओयू अनुभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली

दिनांक : 04 मार्च, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय : ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओयू) की दिनांक 29 फरवरी, 2015 को आयोजित पहली बैठक (2015 श्रृंखला) का कार्यवृत्त।

मुझे ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओयू) की दिनांक 29 फरवरी, 2015 को आयोजित पहली बैठक (2015 श्रृंखला) का कार्यवृत्त की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु इसके साथ प्रेषित करने का निदेश हुआ है।

2. अनुमोदन बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयों पर क्रियान्वयन रिपोर्ट अग्रता आधार पर इस कार्यालय को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक-यथोपरि।

ह0/-

(एस.एस. कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 23062496

ई-मेल : kumar.ss@nic.in

1. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
2. सीबीईसी [सदस्य (सीमाशुल्क)], वित्त मंत्रालय
3. सीबीडीटी]सदस्य (आयकर)], वित्त मंत्रालय
4. डीजीएफटी
5. संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
6. संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
7. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
8. सभी विकास आयुक्त

प्रतिलिपि : सीएस के प्रधान निजी सचिव/एएस (आरआरआर) के प्रधान निजी सचिव, संयुक्त सचिव (जीपीएम) के निजी सचिव/निदेशक (एमवी) के निजी सचिव।

ईओयू के लिए अनुमोदन बोर्ड की पहली बैठक (2015) का कार्यवृत्त
दिनांक 20.02.2015

ईओयू स्कीम के लिए वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में कमरा संख्या 47 उद्योग भवन, नई दिल्ली में दिनांक 20.02.2015 को अपराहन 3.00 बजे आयोजित अनुमोदन बोर्ड की पहली बैठक (2015 श्रृंखला) का कार्यवृत्त।

ईओयू के लिए अनुमोदन बोर्ड की श्री राजीव खेर, वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में कमरा संख्या 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में दिनांक आयोजन किया गया। बैठक की शुरूआत करते हुए अध्यक्ष महोदय ने अनुमोदन बोर्ड के सभी सदस्यों का स्वागत किया।

1.1(15) अनुमोदन बोर्ड की दिनांक 18.09.2014 को आयोजित तीसरी बैठक (2015 श्रृंखला) के कार्यवृत्त की पुष्टि।

अनुमोदन बोर्ड ने दिनांक 18.09.2014 को आयोजित तीसरी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि कर दी।

1.2(15) सीएसईजेड के अंतर्गत एक 100 प्रतिशत ईओयू मैसर्स ब्रिटिश इंजिन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड – उनकी मौजूदा गतिविधियों से संबंधित कुछ सेवाओं का समायोजन करने के लिए अनुमति।

विचार-विमर्श के पश्चात बोर्ड ने सीएसईजेड के अधीन एक ईओयू मैसर्स ब्रिटिश इन्जिन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के अनुमोदन पत्र में कुछ सेवाओं अर्थात् डिजायन सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर सेवाओं सूचना प्रौद्योगिकी डिजायन एवं विकास सेवाओं, तकनीकी परामर्शी सेवाओं, शेयर प्वाइंट सेवाओं तथा एनीमेशन सेवाओं को एफटीपी एवं एचबीपी में उल्लिखित प्रावधानों के अध्यधीन शामिल करने की अनुमति देने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया।

1.3(15) सीएसईजेड के अधीन एक 100 प्रतिशत ईओयू मैसर्स सेर्वोकंट्रोल्स ऐरोस्पेश इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - उनकी मौजूदा गतिविधियों से संबंधित कुछ सेवाओं का समायोजन करने के लिए अनुमति।

पर्याप्त विचार-विमर्श के पश्चात बोर्ड ने सीएसईजेड के अधीन एफईओयू मैसर्स सर्वोकंट्रोल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के उस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया जिसमें उन्होंने उनके अनुमति पत्र में पहले से सूचीबद्ध सभी मदों (i) **एक्चुएटर्स मोटर्स एवं एन्कोडर्स की मरम्मत एवं सर्विस** (ii) **मोटर्स एवं एन्कोडर्स की मरम्मत एवं सर्विस** (iii) **अंडर कैरिएजेज एवं उनके पार्ट्स की मरम्मत एवं सर्विसेस** (iv) **वायुयान के अन्य पार्ट्स एवं हेलिकॉप्टर एन्कोडर्स की मरम्मत एवं सर्विसेज की एफटीपी के पैरा 6.6 के अध्यधीन "रिपेयर एवं सर्विसेज" को शामिल न करने, जिसमें डीटीए बिक्री की अनुमति नहीं है, और एफटीपी एवं एचबीपी में अन्य प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए अनुमोदन दे दिया।**

1.4(15) सीएसई जेड के अंतर्गत एक ईओयू मैसर्स शेल इंडिया मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड को उनकी नई प्रयोगशाला के लिए आयातित एवं स्वदेशी दोनों तरह की कतिपय शुल्क मुक्त सामग्री का प्रापण करने के लिए अनुमति।

बोर्ड ने सीएसईजेड के अंतर्गत एक ईओयू मैसर्स शेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के आयातित/स्वदेशी सामग्री अर्थात् एल्युमिनियम क्लैडिंग, प्रयोगशालाओं के लिए ग्लास पैनल, फायर डोर्स एवं फॉयर रोलिंग शटर्स, लाइटिंग मैनेजमेंट सिस्टम और प्रयोगशाला के लिए लाइटिंग फिक्शर्स, इलेक्ट्रिकल मदों, और इलेक्ट्रिकल केबल्स (कॉपर) और इलेक्ट्रिकल केबल्स (एल्युमीनिम) का शुल्क मुक्त अधिप्रापण करने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार किया। पर्याप्त विचार-विमर्श के उपरांत बोर्ड ने इस मामले को आस्थगित कर दिया और विकास आयुक्त सीएसईजेड को उन मदों की पहचान करने के निदेश दिया जो नई प्रयोगशाला के लिए विशिष्ट है।

1.5(15) सीएसईजेड के अंतर्गत एक ईओयू मैसर्स वोफोक्स सॉल्युशंस (प्राइवेट) लिमिटेड ईओयू स्टेट्स (जो दिनांक 08.09.2013 को व्यपगत हो गया) उसे आगे 5 वर्षों से अधिक अवधि के लिए 100 प्रतिशत ईओयू स्कीम में बनाए रहना।

बोर्ड ने नोट किया कि एचबीपी के पैरा 6.2.9 के अनुसार यदि कोई ईओयू अनुमोदन अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी ईओयू स्कीम के अंतर्गत बने रहने का विकल्प देती है तो वह इकाई अनुमोदन अवधि समाप्त होने के छः माह के अंदर अनुमति पत्र का विस्तार करने के लिए विकास आयुक्त को आवेदन करेगी। इस मामले में इस यूनिट ने 1 वर्ष और 2 माह की अवधि व्यपगत हो जाने के पश्चात, 5 वर्षों के दूसरे ब्लॉक के लिए विस्तार की मांग की है। विचार-विमर्श के पश्चात, बोर्ड ने इस यूनिट का अनुमति पत्र बढ़ाए जाने का निश्चय किया और उसने अनुमति पत्र का विस्तार करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलंब के लिए 10000/-रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया।

1.6(15) मैसर्स मैजिनोम लैब्स प्राइवेट लिमिटेड : सीएसईजेड के अधीन ईओयू इकाई की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव।

बोर्ड नरे सीएसईजेड के अधीन ईओयू की स्थापना करने के लिए मैसर्स मैजिनोम लैंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव पर विचार किया और एफटीपी के पैरा 6.16 के अध्यधीन, जिसके अंतर्गत डीटीए की बिक्री की अनुमति नहीं है (i) **स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं** (ii) **तकनीकी परीक्षण एवं विश्लेषण और मानव प्रतिमानों पर अनुसंधान एवं विकास सेवाओं का निर्यात करने के लिए और एफटीपी एवं एचबीपी में उल्लिखित अन्य प्रावधानों का अनुपालन करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया।**

1.7(15) मैसर्स जॉन डीरे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सीप्ज के अधीन कृषि ट्रैक्टर्स, एग्रीगेट्स, कम्पोनेंट्स और उनके पुर्जों का विनिर्माण करने के लिए मौजूदा डीटीए इकाई के ईओयू इकाई में सम्परिवर्तित करने के लिए प्रस्ताव।

बोर्ड ने सीप्ज के अंतर्गत एक मौजूदा डीटीए यूनिट को ईओयू यूनिट में सम्परिवर्तित करने के लिए मैसर्स जॉन डीरे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव पर विचार किया और उन्होंने एफटीपी एवं एचबीपी में उल्लिखित प्रावधानों के अध्यधीन कृषि ट्रैक्टरों, एग्रीगेट्स, कम्पोनेंट्स और उनके पुर्जों का विनिर्माण करने और उनका निर्यात करने के लिए उनके प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निश्चय किया।

1.8(15) एनएसईजेड के अधीन एक ईओयू मैसर्स टारस एजाइल टेक्नालोजी कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का नकारात्मक एनएफई के बावजूद अनुमति पत्र का विस्तार।

बोर्ड ने एनएसईजेड के अंतर्गत एक ईओयू मैसर्स टारस एजाइल टेक्नालोजी कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का नकारात्मक एनएफई होने के बावजूद बोर्ड ने उसके अनुमति पत्र बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किया। बोर्ड ने नोट किया कि इस यूनिट का न केवल एनएफई नकारात्मक है बल्कि इस यूनिट ने नियमों का उल्लंघन करके रियायती दर पर डीटीए बिक्री भी की है। बोर्ड ने विकास आयुक्त, एनएसईजेड को निदेश दिया कि वह इन तथ्यों और लागू नियमों की स्थिति के मद्देनजर इस प्रस्ताव की पुनः जांच करे।

1.9(15) मैसर्स टेट्रा पैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड – पुरानी मशीनों की मरम्मत करने तथा पुनर्सज्जा करने के लिए सीप्ज के अंतर्गत एक ईओयू की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव।

बोर्ड ने सीप्ज के अधीन एफईओयू यूनिट की स्थापना करने के लिए मैसर्स टेट्रा पैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव पर विचार किया और फिलिंग मशीनों की मरम्मत करने एवं उनकी पुनर्सज्जा, तथा तदुपरांत उनका निर्यात करने के एक यूनिट की स्थापना के प्रस्ताव को एफटीपी के पैरा 6.16 के अध्यधीन जिसमें डीटीए बिक्री की अनुमति नहीं होगी और एफटीपी तथा एचबीपी उल्लिखित में अन्य प्रावधानों के अनुपालन के अध्यधीन मंजूरी दे दी।

अनुमोदन बोर्ड के अन्य प्रेक्षण :

उन प्रस्तावों के संदर्भ में जहां एचबीपी के पैरा 6.2.2 के अंतर्गत मौजूदा एलओपी में सेवाओं का समावेशन करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन की मांग की गई है, यह प्रेक्षण किया गया इन मामलों में अनुमोदन देने का प्राधिकार एफटीपी के अंतर्गत क्षेत्रीय विकास आयुक्त को दिया जाना चाहिए। एसईजेड के मामलों में इन मामलों को विकास आयुक्त द्वारा देखा जाता है। इसलिए, ईओयू के मामलों में भी यह निदेश दिया गया कि एफटीपी में आवश्यक संशोधन करने के लिए डीजीएफटी को एक प्रस्ताव दिए जाने की आवश्यकता है।

भाग-II

दिनांक 1995 के तीसरे प्रेस नोट के अनुसार अनुमोदन बोर्ड का अनुसमर्थन करने के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत विकास आयुक्त द्वारा दिया गया अनुमोदन।

क	अगस्त, 2014 से अक्तूबर, 2014 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन	सीप्ज
ख	अगस्त, 2015 से जनवरी, 2015 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन	आई एस ई जेड
ग	जुलाई, 2014 से दिसम्बर, 2014 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन	के ए एस ई जेड
घ	जुलाई, 2014 से नवम्बर, 2014 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन	एम एस ई जेड
ड.	जुलाई, 2014 से दिसम्बर, 2014 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन	एफ एस ई जेड
च	सितम्बर, 2014 से जुलाई, 2015 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन	वी एस ई जेड
छ	जून, 2014 से अक्तूबर, 2014 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन	सी एस ई जेड

प्रतिभागियों की सूची

1. श्री राजीव खेर, वाणिज्य सचिव – अध्यक्ष
2. श्री राम तीरथ, डीजी, डीजीईपी, राजस्व विभाग
3. श्री प्रवीर कुमार, डीजी, डीजीएफटी
4. श्री आर.आर. रश्मि, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग
5. डा. गुरूप्रसाद महापात्र, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग
6. डा. तेजपाल सिंह, अपर डीजीईपी, राजस्व विभाग
7. श्री जितेन्द्र कुमार, अपर निदेशक, डीजीईपी, राजस्व विभाग
8. डा. एल. बी. सिंघल, अपर डीजीएफटी
9. श्री मधुप व्यास, निदेशक वाणिज्य विभाग
10. सुश्री दीपशिखा शर्मा, निदेशक (आईटीए-1), सीबीडीटी, राजस्व विभाग
11. श्री सुमित जयरथ, विकास आयुक्त, एनएसईजेड
12. श्री विजय शेवाले, विकास आयुक्त, केएएसईजेड
13. श्री एन. पी. एस मोंगा, विकास आयुक्त, सीप्ज, एसईजेड
14. श्री संजीव नंदवानी, विकास आयुक्त, एफएएसईजेड और वीएसईजेड
15. श्री ए. के. चौधरी, विकास आयुक्त, एमएसईजेड
16. सुश्री सफीना ए. एन., विकास आयुक्त, सीएसईजेड
17. श्री ए.के. राठौर, संयुक्त विकास आयुक्त, आईएसईजेड
18. श्री राकेश कुमार, उप-विकास आयुक्त, एनएसईजेड